

(5)

व्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 495 एंव 497-दो/2017 निगरानी - विरुद्ध  
आदेश दिनांक 24-01-2017 - पारित द्वारा - आयुक्त, भोपाल  
संभाग, भोपाल - प्रकरण क्रमांक 147 एंव 151/13-14 अपील

शफीक रहमान सिद्दीकी पुत्र स्व. ओ0आर0सिद्दीकी  
निवासी कोहेफिजा भोपाल द्वारा मुख्यारखास  
मो.अशफाक खान पुत्र मो. युसुफ खान  
निवासी 24 टोलवाली मर्सिजद बुधवारा भोपाल

—आवेदक

विरुद्ध

- 1- श्रीमती मिथ्लेश पत्नि स्व. द्वारकाप्रसाद
- 2- योगेश पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद
- 3- श्रीमती शिवा श्रोत्रिय पत्नि भुवनेश्वर  
निवासीगण इंगिलिशपुरा,इलाहावाद बैंक के सामने  
सीहोर , तहसील व जिला सीहोर, म0प्र0
- 4- आयुष्मति एजेकेशन एंड सोशल सोसायटी भोपाल  
द्वारा डा0अनीस कपूर पुत्र आर.एन.कपूर निवासी  
ई-3/4 ए अरेरा कालोनी भोपाल

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री व्ही.के.श्रीवास्तव एंव श्री एम.ए.वेग)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री अनिल जेन एंव श्री प्रेमसिंह ठाकुर)

आ दे श

(आज दिनांक ५-०७-२०१८ को पारित)

यह दो निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक  
147 एंव 151/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-01-2017 के विरुद्ध  
म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।  
दोनों निगरानी प्रकरणों की विषय-वस्तु एंव पक्षकार समान होने से इस आदेश द्वारा  
निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि मौजा थूनाकलॉ तहसील सीहोर स्थित  
भूमि सर्वे क्रमांक 549/2, 554/1, 554/2 कुल किता तीन कुल रकबा 3-097  
हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) आवेदक ने अनावेदक

कमांक 1 से 3 के पिता छारकाप्रसाद से विक्रय पत्र दिनांक 14-1-2004 से क्य करके विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, किन्तु मुद्रांक शुल्क कम देय होने के आधार पर उप पंजीयक ने विक्रय पत्र जिला पंजीयक को अग्रेषित कर दिया जिस पर से जिला पंजीयक ने प्रकरण कमांक 22 बी-105/2003-04 पैंजीबद्ध करके अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क जमा करने के आदेश दिये। इसी दरम्यान विक्रेता की मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त भूमि पर मृतक के वारिसान अनावेदक कमांक 1 से 3 का ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 18/2 पर सरपंच ग्राम पंचायत ने नामान्तरण कर दिया, जिन्होंने वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 4-2-2011 से अनावेदक कमांक 4 को विक्रय कर दी।

पैंजीकृत विक्रय पत्र के 14-1-2004 के आधार पर आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में नामान्तरण आवेदन दिया गया, जिस पर प्रकरण कमांक 165/अ-6/08-09 पैंजीबद्ध करके आदेश दिनांक 15-9-2009 से नामान्तरण आवेदन अमान्य किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से अनावेदक कमांक 1 से 3 का नामान्तरण है। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने प्र०क० 4/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-1-2010 से अपील निरस्त कर दी।

ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 18/2 पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामान्तरण आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने प्रकरण कमांक 15/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-4-2010 से अपील स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पैंजीकृत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 28-4-2010 के विरुद्ध अपर कलेक्टर, सीहोर के यहाँ निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीहोर ने प्रकरण कमांक 124/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-8-10 से निगरानी निरस्त कर दी।

अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 28-4-2010 के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 536/2009-10 अपील पर पैजीबद्ध हुई। इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने अपर कलेक्टर, सीहोर के आदेश दिनांक 16-8-10 के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 189/2009-10 निगरानी पर पैजीबद्ध की गई। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने दोनों प्रकरण (अपील/ निगरानी) में संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 4-1-2011 पारित किया तथा अपील एंव निगरानी अस्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 28-4-2010 को स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 4-1-2011 के विरुद्ध राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्र०क० 291-दो/2011 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-4-2011 से निरस्त की गई।

अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 28-4-2010 के क्रम में तहसीलदार सीहोर ने प्रकरण क्रमांक 165 अ-6/2009-10 में पक्षकारों की पुर्नसुनवाई की तथा आदेश दिनांक 6-11-12 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर प्रथम केता आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर के समक्ष दो अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने प्रकरण क्रमांक 27 एंव 28/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-8-2014 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-11-12 को निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-8-14 के विरुद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष दो अपील क्रमशः क्रमांक 147 एंव 151/2013-14 प्रस्तुत हुई। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने दोनों प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दि. 24-1-17 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों, उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व

में मृतक द्वारकाप्रसाद के नाम भूमिखामी स्वत्व पर दर्ज रही है एवं इसी रिकार्ड भूमिखामी ने विक्रय पत्र दिनांक 14-1-2004 से आवेदक के हित में भूमि विक्रय करने का विक्रय विलेख तैयार करापया एवं उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, किन्तु उप पंजीयक ने विक्रय पत्र पर कम स्टाम्प ड्यूटी देने के कारण जिला पंजीयक को अति.मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु प्रकरण प्रेषित कर दिया अर्थात् विक्रय पत्र पैजीबद्ध नहीं हुआ। अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने आदेश दिनांक दिनांक 23-8-2014 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अनुशीलन एवं परिशीलन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य पूर्णरूप से प्रमाणित हो चुका है कि रिस्पाडेंट क. 1 के द्वारा जा विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मूल विक्रेता की मृत्यु पश्चात् निष्पादित हुआ है इसकी संदिग्धता को प्रमाणित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाकर संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया।

उपरोक्तानुक्रम में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 147 एवं 151/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-01-2017 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश के पृष्ठ 4 के पद 5 में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों के परीक्षण पर निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :-

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 9-1-2010 के माध्यम से अपीलार्थी ने मुख्यारआम के माध्यम से क्य की गई है तथा अभी भी मुख्यारआम द्वारा ही विभिन्न न्यायालयों में अपीलार्थी की ओर से प्रकरणों में पैरवी की जा रही है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व के निराकरण हेतु अपीलार्थी के मुख्यारआम की ओर से नियमित व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि दिनांक 29-11-2013 को निरस्त किया जा चुका है तथा अपीलार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रथम अपील क्रमांक 919/2013 प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है। विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार सिहोर ने अपीलार्थी पक्ष की साक्ष्य अंकित की गई है किन्तु उनका प्रतिपरीक्षण न स्वयं न्यायालय द्वारा किया गया है और न ही विपक्ष पक्षकारों से कराया गया है। सहिता की धारा 109 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विधि पूर्व हित अर्जन होने के उपरांत ही नामान्तरण की ईस्सा की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में रजिस्टर्ड बैनामा संदिग्ध होने के कारण स्वत्व का विवाद उत्पन्न हो गया है जिसका निराकरण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है।

उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने अपील क्रमांक 147 एवं 151/13-14 आदेश दिनांक 24-1-2017 से निरस्त की है। प्रकरण के

अवलोकन से पाया गया कि जब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है -

बुधियावाई विरुद्ध भैवरजी 1998 रा.नि. 115 एंव उमादेवी विरुद्ध रामादेवी 1997 रा.नि. 406 में बताया गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने की दशा में नामानतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। मामले में हक के गंभीर प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो और उत्तराधिकार का मामला पूर्व से ही प्रोवेट न्यायालय में लम्बित हो तो उस दशा में न्यायालय के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जाना चाहिये।

अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 23-8-2014 में निकाले गये निष्कर्षों तथा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 24-1-17 में निकाले गये निष्कर्षों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि के अभिलेख में अंकित स्वामित्व के सम्बन्ध फेर-बदल करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 147 एंव 151/13-14 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 24-01-2017 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

W

(एस०एस०अली)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर